महत्वपूर्ण एवं खास

नौकरी लगाने का झांसा देकर साढ़े 8 लाख की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। मंगलम कॉम्पलेक्स अग्रसेन चौक समता कालोनी में नौकरी लगाने का झांसा देकर साढ़े 8 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर आजाद चौक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार कर्मा चौक रामनगर गुढिय़ारी निवासी प्रार्थी भागीरथी गढ़ेवाल 64 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी बालकिशोर बैरवा ने प्रार्थी के लडक़ा अभिषेक कुमार 23 वर्ष एवं कोमल कुमार 20 वर्ष को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर प्रार्थी से साढ़े 8 लाख रुपए ले लिया। जब नौकरी नहीं लगवा पाया तो प्रार्थी ने अपना पैसा वापस मांगा। आरोपी द्वारा पैसे नहीं देने पर प्रार्थी ने मामले की शिकायत आजाद चौक थाना में की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

भवन का ताला तोडक़र हजारों रुपए का सामान पार

रायपुर (आरएनएस)। अग्रोहा कालोनी स्थित अंबेडकर भवन का ताला तोडक़र अज्ञात चोर ने हजारों रुपए का सामान पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार डीडीनगर निवासी प्रार्थी सीडी खोबरागढ़े 66 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि बीती रात अज्ञात चोर ने अंबेडकर भवन का ताला तोडक़र मूर्ति, साउण्ड सिस्टम, मिक्सर मशीन व अन्य सामान पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब 40 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर डीडीनगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

जमीन विवाद को लेकर युवक से मारपीट

रायपुर (आरएनएस)। रामायण कुटी नवागांव में जमीन विवाद के चलते दो युवकों ने एक युवक से गाली-गलौज कर मारपीट किया। प्रार्थी की शिकायत पर गोबरानवापारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार नवागांव नवापारा निवासी प्रार्थी राजाधर पटेल 39 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी अश्वनी कुमार चक्रधारी एवं गोपाल ने जमीन विवाद के चलते प्रार्थी से गाली-गलौज कर मारपीट किया। प्रार्थी की शिकायत पर गोबरानवापारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

दो बाइक आपस में टकराई, दो की मौत

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम भड़हा बुडगहन में दो बाइक आपस में टकरा गई। जिससे बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम कुरूद निवासी प्रार्थी खिलावन साहू 38 वर्ष ने थाना में शिकायत किया कि उसके पिता मृतक लालाराम साहू 55 वर्ष, खेदराम साहू 50 वर्ष व केशवराम साहू बाइक क्रमांक सीजी 04 एचएम 0866 से कहीं जा रहा था। तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक क्रमांक सीजी 04 एनएन 8345 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दिया। जिससे बाइक सवार लालाराम साहू और खेदराम साहू की मौत हो गई। वहीं घायल केशव का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले में खरोरा पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

बिजली करेंट से मजदूर की मौत

कवर्धा, 20 दिसम्बर (आरएनएस)। गुड़ फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर ट्रक पर चढक़र भूसा खाली कर रहा था ऊपर इलेवन के व्ही के बिजली का तार छू जाने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जावेद 24 वर्ष उत्तरप्रदेश के बिजनौर का रहने वाला था। पांडातराई थाना अंतर्गत प्रताप पुर की घटना। मौके पर पुलिस पहुँच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच कर रही है।

एसबीआई के 50 हाइटेक ई-चालान डिवाइस मशीन से कटेगा चालान

रायपुर (आरएनएस)। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम सुरक्षित बनाने तथा उल्लंघन कर्ताओं पर प्रभावी कार्यवाही हेतु यातायात पुलिस के द्वारा नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों की सुविधा हेतु एसबीआई द्वारा प्रदत हाईटेक ई चालान हाईटेक डिवाइस मशीन से चालान काटने की कार्यवाही शुरू की जा रही है। जिसे मंगलवार 20 दिसंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा यातायात रायपुर में पदस्थ समस्त अधिकारियों को प्रदान किया गया। बता दें कि रायपुर शहर में आईटीएमएस सिस्टम मार्च 2019 से चालू है जिसके माध्यम से उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों का ई चालान उनके घर के पते पर भेजा जा रहा है साथ ही मूवीएशन कंपनी से प्राप्त इचालान डिवाइस से वर्ष 2021 से कैशलेस चालानी कार्रवाई की जा रही है कैशलेस सुविधा को अपडेट करते हुए भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त नई हाईटेक हाईटेक इचालान डिवाइस मशीन से चलानी कारवाही की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। डिवाइस मशीन में निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध है।

01. इस डिवाइस में एक यूनिक कोड दिया गया है, जो व्यक्तिगत लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड से खुलेगा। जिस अधिकारी के नाम से मशीन रहेगा वही अधिकारी इसका उपयोग कर पाएगा दूसरे अधिकारी अपने आईडी एवं पासवर्ड से उस मशीन का उपयोग नहीं कर पाएगा। 02. इस डिवाइस मशीन से मौके पर ही उल्लंघन करता की फोटो खींचने की सुविधा है, जो सर्वर पर स्टोर हो जाएगा।

03. इस डिवाइस से ऑनलाइन कार्रवाई होगा इसमें ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ ह्वह्य्-ष्शस्रद्ग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे यूपीआई के माध्यम से वाहन चालक पेमेंट कर सकता है। ई चालान तैयार होते ही वाहन चालक के मोबाइल पर तुरंत पेमेंट हेतु लिंक चला जाएगा जिससे वह अपने फोन से ही मौके पर पैसा जमा कर सकता है।

04. अभी तक ई-चालान आईटीएमएस सिस्टम के माध्यम से होता था, जबकि नए डिवाइस मशीन से मौके पर ही बनाया जा सकेगा।

05. पूर्व में नो पार्किंग में खड़ी वाहनों पर लॉक लगाकर या क्रेन से उठाकर कार्यवाही किया जाता था परंतु अब नो पार्किंग पर खड़ी वाहनों पर डिवाइस से चालान तैयार कर प्रिंट निकाल कर चस्पा किया जाएगा, चस्पा चालान तैयार करने पर वाहन मालिक के मोबाइल में लिंक चला जाएगा, चस्पा प्रिंट में भी लिंक रहेगा जिससे भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यदि यूपीआई का उपयोग नहीं करता है तो चस्पा किए गए प्रिंट में अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नंबर रहेगा जिससे संपर्क कर यातायात कार्यालय में जाकर पेमेंट कर सकता है।

06. इस नए डिवाइस मशीन में वर्चुअल कोर्ट भेजने की भी सुविधा दी गई है। यदि उल्लंघन करता वाहन चालक मौके पर पेमेंट करने में असमर्थ है, तो उनका प्रकरण मौके पर ही वर्चुअल कोर्ट भेज दी जाएगी। जहां से कोर्ट द्वारा पेमेंट हेतु उल्लंघन करता वाहन चालक के मोबाइल नंबर पर लिंक भेजा जाएगा जिससे घर बैठे पेमेंट करने की सुविधा होगी कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उक्त ई- चालान डिवाइस मशीन को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा यातायात रायपुर में पदस्थ सभी टैंगो मोबाइल को प्रदान किया गया इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर जयप्रकाश बढ़ई, उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर गुरजीत सिंह, सुशांतो बनर्जी एवं यातायात रायपुर में पदस्थ सभी टैंगो मोबाइल प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी उपस्थित रहे।

बिलासपुर और सरगुजा में कड़ाके की ठंड

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश के कुछ जगहों पर अब सर्दी और कड़ाके की ठंड पडऩे लगी है. अंबिकापुर पेंड्रारोड और कवर्धा के पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री दर्ज किया गया है. आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान इसी तरह बने रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. राजधानी में भी रात का पारा कम हो जाने के कारण ठंड बढ़ गई है. उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाओं का आगमन लगातार हो रहा है. जिसके कारण प्रदेश में सर्दी और कड़ाके की ठंड पडऩे लगी है. उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी बिलासपुर और सरगुजा के जंगल और पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्र ने बताया उत्तर भारत से आ रही शुष्क और ठंडी हवा के कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है. सोमवार को प्रदेश का मौसम शुष्क रह सकता है. न्यूनतम तापमान में गिरावट होगा.

अवैध रूप से रेत खनन व परिवहन पर होगी एफआईआर, कलेक्टर ने दिए निर्देश

- समय-सीमा की सप्ताहिक बैठक में राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई
- कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को समन्वय से काम करने कहा

रायपुर (आरएनएस)। जिले में अवैध रूप से रेत, मुरूम, गिट्टी के खनन और परिवहन पर जिला प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने आज समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में अवैध रूप से संचालित किसी भी खदान से रेत, गिट्टी, मुरूम खोदने और उनके अवैध परिवहन पर संचालको के विरूद्ध पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने बन्द हो चुकी खदानों से अवैध रूप से उत्खनन या बिना निविदा के बिना लीज स्वीकृत हुए चलने वाली खदानों से खनन करने पर भी संचालको के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लगे वाहनों एवं मशीनों को जब्त कर राजसात करने की भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर ने अभनपुर, आरंग और तिल्दा क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों सहित सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों और खनिज विभाग के अधिकारियों को पुलिस के साथ समन्वय कर अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कड़ी कार्रवाई करने के विशेष निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा, नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी, सहायक कलेक्टर जयंत नहाटा, अतिरिक्त कलेक्टर एन.आर. साहू, अपर कलेक्टर बी.बी.पंचभाई एवं बी.सी.साहू सभी एस.डी.एम एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर डॉ भुरे ने 22 दिसंबर को आयोजित होने वाले वृहद रोजगार मेला की तैयारी के संबंध में रोजगार अधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि शासकीय आईटीआई सड्डु , लाईलीहुड कॉलेज जोरा और गल्र्स पॉलीटेक्निक कॉलेज रायपुर में सबेरे 10:30 बजे से रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी आवश्यक तैयारी व्यवस्थित रूप से करने के निर्देश दिए। सप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में आज कलेक्टर डॉ भुरे ने राज्य सरकार की महत्तवपूर्ण योजनाओं-स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुपोषण अभियान, बिजली बिल हॉफ, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, राशन कार्ड, राजीव गांधी आश्रय पट्टा योजना, गोधन न्याय योजना, धान खरीदी सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी समय में मुख्यमंत्री द्वारा जिले में भेंट-मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम नागरिकों को शासन की योजनाओं का लाभ समय में दिलाना सुनिश्चित करें।

डॉ भुरे ने जमीनों के नामांतरण, बंटवारा आदि के बाद तत्काल बिना देर किए राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों का लगातार निरीक्षण करने और किसानों के लिए सभी प्रकार की सुविधाए सुनिशिचत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

गुंडे-बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाकर 52 आरोपियों पर की कार्यवाई

रायपुर (आरएनएस)। अपराधों की रोकथाम, अपराधियों पर नकेल कसने सहित नव वर्ष आगमन को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व शांति व्यवस्था के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी के नेतृत्व में समस्त नगर पुलिस अधीक्षकों के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना के बलों सहित एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम के साथ अपने-अपने थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाते हुए गुण्डा बदमाश, निगरानी बदमाश, संदिग्ध व्यक्ति, असमाजिक तत्वों एवं अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान कार्यवाही के दौरान बीती रात पुलिस टीमों द्वारा थाना गोलबाजार से 01, सिविल लाईन से 01, पण्डरी से 07, देवेन्द्रनगर से 02, विधानसभा से 05, सरस्वती नगर से 03, आमानाका से 02, पुरानी बस्ती से 05, टिकरापारा से 01, मुजगहन से 01, राजेन्द्र नगर से 01, खमतराई से 01, गुढिय़ारी से 01, धरसींवा से 05, मंदिर हसौद से 01, गोबरा नवापारा से 05, खरोरा से 01, नेवरा से 01 एवं खम्हारडीह से 08 इस प्रकार कुल 52 गुण्डा/निगरानी बदमाश, असमाजिक तत्वों, अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को जेल भेजा गया।

नाले में मिली लापता युवक की लाश

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर के डब्ल्यूआरएस खमतराई क्षेत्र में एक लापता युवक की लाश मिली है। युवक कुछ दिनों से लापता था। क्षेत्र के लोग हत्या कर लाश फेंकने की बात कर रहे किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो पायेगा।

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह डब्लूआरएस इलाके से लगे स्कूल पारा के नाले में स्थानीय लोगों ने युवक का शव देखा। मृतक की पहचान कर ली गई। मृतक का नाम देवेंद्र तांडी था। मृतक पिकअप ट्रक चलाकर गुजारा किया करता था। बताया जाता है कि डब्लूआरएस खमतराई इलाके के कुछ बदमाशों से इसकी दोस्ती थी। पूर्व में कुछ लडक़ों से इसका विवाद हुआ था। फिलहाल खमतराई थानर पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने पुलिस को बताया है कि 5 दिन पहले घर वालों से देवेंद्र का विवाद हुआ था। इसके बाद वो घर से चला गया था। इससे पहले भी तीन-चार दिनों के लिए देवेंद्र घर छोडक़र जा चुका था। गुस्सा शांत होने पर लौट आता था। जब इस बार देवेंद्र गया तो घरवालों को लगा कि लौट आएगा और घरवालों ने पुलिस को खबर नहीं दी थी। किंतु मंगलवार को अचानक उसकी लाश मिली। इस मामले में युवक ने खुदकुशी की या उसकी हत्या की गई, इस पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। परिजनों से पूछताछ में खुदकुशी करने जैसी बातें या हालात सामने नहीं आए। न ही शव पर कोई चोट या हमले के निशान पुलिस को मिले हैं जिससे हत्या की बात की पुष्टि हो सके। खमतराई पुलिस का कहना है कि इस मामले में पूछताछ जारी है, जल्द ही मौत के कारणों का पता लग सकता है।

धमतरी पुलिस ने 110 नग मोबाइलों को किया गया रिकवर

रायपुर (आरएनएस)। लगभग 14,30,000/- लाख रूपये कीमत के विभिन्न कंपनियों के मोबाइल किये गये रिकवर। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हुई थी मोबाइल गुमने की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ने किया रिकवर मोबाईल को गुम मोबाईल के वैद्य धारकों को सुपूर्द। गुम हुए मोबाईल के मिलने की आस छोड़ बैठे लोगों ने मोबाईल वापस मिलने पर हुए खुश, दिया धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही लगातार जिले में विभिन्न थानों में विगत कुछ समय से दर्ज मोबाइल गुमने की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुये सायबर सेल की टेक्नीकल टीम को विशेष अभियान मिशन मोबाइल तलाशचलाकर गुम हुए मोबाइलों को रिकवर करने निर्देशित किया। गौरतलब है कि पिछले इसी साल माह फरवरी में भी 100 एवं अप्रैल में 103 मोबाईल रिकवर कर मोबाईल धारकों को वापस किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंभुरकर साहू के मार्गदर्शन में एवं नोडल अधिकारी साइबर एसडीओपी. कुरूद श्री कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने विशेष अभियान के तहत् जिले के विभिन्न थानों में दर्ज गुम मोबाइल की रिपोर्ट को एकत्रित किया गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों के सतत मार्गदर्शन में कई दिनों के अथक प्रयास, लगन एवं मेहनत से खोजबीन करते हुए 110 नग एंड्राइड मोबाइल,कुल 110 नग गुम मोबाइलों को रिकवर करने में सफलता प्राप्त किए। रिकवर किये गये विभिन्न कंपनियों के मोबाइल की अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 14,30,000/- लाख रूपये है। आज दिनांक 20.12.2022 को पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर के द्वारा थाना कोतवाली परिसर स्थित पुलिस जनसंवाद कक्ष में उक्त सभी मोबाइलों को उनके मालिकों को बुलाकर सुपूर्द किया गया। मोबाइल गुम होने पर उसके मिलने की संभावना नहीं होना मान चुके लोगों को उनका खोया हुआ मोबाइल वापस मिलने पर धमतरी पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित कर प्रसन्नता व्यक्त किया गया। इनमे से कई मोबाइल धारकों को अपना गुम मोबाइल वापस मिलने की किसी भी प्रकार से उम्मीद नही थी, किन्तु धमतरी पुलिस की साइबर तकनीकी टीम के द्वारा लगातार प्रयासों से ना केवल गुम हुये मोबाइल को रिकवर किया, बल्कि उक्त सभी मोबाइल को उनके मोबाइल धारकों को दिया गया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित जनमानस एवं पत्रकार बंधुओं से चर्चा करते हुए बताया कि धमतरी पुलिस का यह अभियान भविष्य में भी निरंतर चलता रहेगा।

युवा सुजीत ने किया मछली पालन से की लाखों की आमदनी

जगदलपुर (आरएनएस)। बस्तर विकासखण्ड के छोटे से गांव भरनी के युवा सुजीत प्रजापति ने मछलीपालन का व्यवसाय कर लाखों की आमदनी की है। सेवानिवृत्त विद्युत लाईनमेन के 24 वर्षीय पुत्र सुजीत प्रजापति ने मैकेनिकल में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के बाद मछलीपालन में रुचि दिखाई। इस दौरान बीबीए की पढ़ाई भी जारी रखी। मछलीपालन की नई तकनीक बॉयोफ्लॉक को देखकर सुजीत के मन में भी इस व्यवसाय के प्रति आकर्षित किया और उन्होंने तीन वर्ष पूर्व इस व्यवसाय से जुडऩे का निश्चय किया और तीन बॉयोफ्लॉक टैंक के साथ व्यवसाय की शुरुआत की। अत्यंत नई तकनीक तथा इस क्षेत्र में किसी मार्गदर्शक के नहीं होने के कारण पहले वर्ष उन्हें व्यवसाय में नुकसान भी हुआ, मगर उन्होंने व्यवसाय को निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया। दूसरे वर्ष थोड़ा अनुभव बढऩे का लाभ मिला और इस व्यवसाय में लाभ दिखा।

सुजीत के मछलीपालन के प्रति रुचि को देखते हुए मत्स्यपालन विभाग ने भी सहयोग करने का निर्णय लिया। इसके बाद सुजीत ने सात बॉयोफ्लॉक टैंकों में मछलीपालन प्रारंभ किया। इसकी लागत लगभग साढ़े सात लाख रुपए आई। विभाग द्वारा 40 फीसदी अनुदान दिया गया, जिससे सुजीत को मात्र साढ़े चार लाख रुपए खर्च करना पड़ा। पिछले वर्ष सुजीत ने मात्र 40 हजार रुपए के मछली बीज से लगभग नौ लाख रुपए से अधिक के मछली तैयार किए और मछलीपालन के खर्च को जोड़ भी दिया जाए, तब भी लगभग चार लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त की। अब सुजीत के अनुभवों का लाभ दूसरे किसान भी उठा रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में मछली की खेती कर रहे हैं। सुजीत भी अब मछलीपालन के साथ ही उसके चारा उत्पादन का व्यवसाय भी प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं, ताकि क्षेत्र के मछलीपालक किसानों को मछली चारा के लिए दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर न रहना पड़े। सुजीत अपनी इस सफलता के लिए मछलीपालन विभाग के साथ ही अपने माता-पिता और भाई को भी श्रेय देते हैं। सुजीत ने कहा कि व्यवसाय की शुरुआती असफलता के बावजूद माता-पिता और भाई ने पूरा समर्थन दिया, जिससे उनके भीतर कभी भी निराशा नहीं आई और परिश्रम व अनुभव से इस व्यापार में लाभ प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि वे तिलापिया और पंगेशियस मछली का पालन कर रहे हैं, जिसकी तेजी से वृद्धि होने के कारण यह अत्यंत लाभदायक व्यवसाय है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे निश्चित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, अधिवक्ताओं के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा सांवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

नकबजन गिरोह से सोने चांदी के गहने खरीदने वाला अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। मध्यप्रदेश धार के नकबजन गिरोह से चोरी के गहने खरीदकर उसकी ब्रिकी करने वाले एक अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी के ढाई लाख रूपए के गहने बरामद किया है।

मिली जानकारी के अनुसार अभिनन्दन सिन्हा ने थाना विधानसभा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह थाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत एन.एच. गोयल वल्ड स्कूल, नरदहा रायपुर में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थ है। विद्यालय परिसर अंतर्गत ही स्टॉफ के आवासीय परिसर निर्मित हैं। जिसमें स्कूल में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकायें अपने परिवार के साथ निवासरत् है। त्यौहार की छुट्टी होने के कारण सभी अपने-अपने घरों में ताला लगाकर बाहर गये हुए। इसी दौरान दिनांक 22-23.10.2022 के दरम्यानी रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय परिसर स्थित आवासिय परिसरों के कपिल ब्लॉक के मकान नं. 02 एवं 04, द्रोणार्चा ब्लाक के मकान नं. डी 01, डी 02, डी 06 तथा हनुमान मंदिर का ताला तोडक़र अंदर प्रवेश कर चोरी कर फरार हो गये है। जिस पर अज्ञात आरोपियों के संबंध में थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 445/22 धारा 457, 380, 411, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

इसी प्रकार अज्ञात आरोपियों ने दिनांक 22-23.10.2022 की दरम्यानी रात्रि थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी रजनीश पाटनी के चाचा आलोक पाटनी के लाभांडी स्थित रोमेस्क्यु विला मकान नं. बी-07 के दरवाजे में लगे ताला को तोडक़र चोरी करने की नियत से अंदर प्रवेश किये थे जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 671/22 धारा 457 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूर्व में आरोपी सुरमन मसनिया उर्फ सुमल, विलाम सिंह अलावा एवं नाहर सिंह मावी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा चोरी की मशरूका को इंदौर (मध्य प्रदेश) निवासी गौरव जैन को बिक्री करना बताया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट के निरीक्षक रोहित मालेकर के नेतृत्व में 04 सदस्यीय टीम को इंदौर (मध्य प्रदेश) रवाना किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा इंदौर (मध्य प्रदेश) पहुंच कर आरोपी गौरव जैन उम्र 27 साल निवासी म.नं. 202 संखेश्वर सिटी स्प्रिंग आरडीसी थाना वाणगंगा इंदौर (म.प्र.)की पतासाजी करते हुए उसे पकड़ा गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी गौरव जैन द्वारा चोरी के सोने एवं चांदी के जेवरातों को क्रय करना बताया गया जिस पर आरोपी गौरव जैन को धारा 411 भादवि. के तहत गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के सोने का 01 नग कंगन, सोने का चैन तथा सोने की अंगूठी कीमती लगभग 2 लाख 50 हजार रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।